

16 8/2

वकील वादी उपस्थित वकील वादी वाद-क
पुनः पत्र करने के अधिकारी को सुरक्षा
प्रश्नों पर Not प्रेश करती हैं। लिखना
वाद वादी Not प्रेश आधार पर
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है
परामर्श/किसी भी शुभाल दोकल साखिल
हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पुनः पत्र
करने का
अधिकार
सुरक्षित, ~~करना~~
करने पर
Not Pres
Mas ch
16-8-2)



16/8/2